दिनांक 17.03.2023
प्रेस विज्ञप्ति 18/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–3

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 16.03.2023 को थाना फेस–3 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गढी गोल चक्कर तिकोना पार्क के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त अभिषेक घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना फेस–3 पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, लूट, चोरी आदि के 37 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–3 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अभिषेक निवासी भोला नगर झींझक थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात, हालपता–त्रिलोकपुरी थाना कल्याणपुर दिल्ली।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर)।

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बांदा/थाना नरैनी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 17.03.2023 को थाना नरैनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बिलहरका मोड़ करतल से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शिवरंजन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नरैनी पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नरैनी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवरंजन निवासी ग्राम करतल थाना नरैनी जनपद बांदा।

जनपद हापुड/थाना हापुड नगर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 85 हजार रूपये नगद**
- **लूटी गयी लाइसेन्सी रिवाल्वर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 17.03.2023 को थाना हापुड नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामलीला मैदान के सामने से 02 अभियुक्तों 1– अरशद

2–जावेद उर्फ कबरा को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 85 हजार रूपये नगद, लूटी गयी लाइसेन्सी रिवाल्वर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 03.03.2023 को थाना हापुड नगर क्षेत्र से अज्ञात बदमाशों द्वारा लाइसेन्सी रिवाल्वर, रूपये लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड नगर पर धारा 452/342/394 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद लाइसेन्सी रिवाल्वर व रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त जावेद उर्फ कवरा के विरूद्ध जनपद मेरठ, बागपत, हापुड़ व कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर डकैती, लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग 02 दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना हापुड नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अरशद निवासी जैदी फार्म हापुड रोड जनपद मेरठ।

2–जावेद उर्फ कबरा निवासी फातिम गार्डन थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 85 हजार रूपये नगद।

2–लूटी गयी लाइसेन्सी रिवाल्वर मय जीवित कारतूस।

3–01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस ।

4–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद आजमगढ़/थाना मेंहनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 17.03.2023 को थाना मेंहनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हटवा मोड़ के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त झिनक उर्फ सत्यनरायन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर के विभिन्न थानों पर हत्या, डकैती, लूट, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मेंहनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—झिनक उर्फ सत्यनरायन निवासी ग्राम मिसरौली थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल ।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद अमरोहा/थाना अमरोहा नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 17.03.2023 को थाना अमरोहा नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अकबरपुर पटटी रोड पर बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सलमान घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–नूर 3–जलील अहमद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सलमान के विरूद्ध जनपद अमरोहा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना अमरोहा नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सलमान निवासी ढकिया चमन थाना डिडौली जनपद अमरोहा।

2–नूर निवासी मो0 लकडा थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा।

3–जलील अहमद निवासी मो0बेगम सराय खुर्द थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल आदि।

- **जनपद उन्नाव/थाना हसनगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास की सजा व 01 लाख 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एस.जे. पॉक्सो एक्ट–11 जनपद उन्नाव द्वारा थाना हसनगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मूलचन्द्र को आजीवन सश्रम कारावास व 01 लाख 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बाराबंकी/थाना देवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या–44 जनपद बाराबंकी द्वारा थाना देवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 5(ड)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त ओमकार को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद रायबरेली/थाना लालगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद रायबरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए.एस.जे पॉक्सो एक्ट–03 जनपद रायबरेली द्वारा थाना लालगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त श्रीचन्द्र उर्फ शिवचन्द्र को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 18 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–पशु तस्करी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाला रुपये 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी मोनू उर्फ वाहिद रजा गिरफ्तार।

दिनांकः 16–03–2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद गोरखपुर के थाना गुलरिहा, जनपद गोरखपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–04/2022 धारा 307, 392, 504, 506, 427, 353, 120बी, 395, 412 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट में वांछित/फरार पशु तस्करी करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य व रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी मोनू उर्फ वाहिद रजा को जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– मोनू उर्फ वाहिद रजा पुत्र सगीर आलम, ग्राम लाला गुरवलिया, पोस्ट गुरवलिया, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर।

बरामदगीः–

1– 01 अदद तमंचा 12 बोर।

2– 02 अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर।

3– 01 अदद मोबाइल फोन।

4– रूपये 810/–नगद।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः–

दिनांक 16–03–2023 को समय लगभग 19.30 बजे रात्रि सरैंया बाजार से लगभग 100 मीटर पहले गोरखपुर थानाक्षेत्र गुलरिहा, जनपद गोरखपुर।

दिनांक 03–01–2022 की रात्रि करीब 12.30 बजे पीआरवी–0331 गाड़ी संख्या यू0पी0 32 डीजी 0331 में चेकिंग के दौरान एक पिकप की गाड़ी नं0 बीआर 05 जीबी 1380 को रोकने का प्रयास किया गया तो अचानक उक्त पिकप गाड़ी संख्या बीआर 05 जीबी 1380 से मोनू उर्फ वाहिद रजा सहित तीन–चार की संख्या में व्यक्ति उतरे और जान माल की धमकी देते हुए जान से मारने की नियत से पथराव करते हुए अन्धा धुंध

फायरिंग करने लगे। पीआरवी कर्मी अपनी जान माल बचाते हुए गाड़ी से दूर हट गये उक्त लोगों ने पीआरवी की गाड़ी के अन्दर घुसकर गाड़ी में रखा मोबाइल और करीब 500–600 रुपये नगद कार के डैसबोर्ड से लूटकर गाली गलौज देते हुए पिकअप लेकर भाग गये। उक्त सम्बन्ध में थाना गुलरिहा, जनपद गोरखपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 04/2022 धारा 307, 392, 504, 506, 427, 353, 120बी, 395, 412 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें वांछित अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु श्री लाल प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण में निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में हे0कां0 यशवंत सिंह, हे0कां0 अशोक कुमार सिंह, हे0कां0 महेन्द्र प्रताप सिंह, हे0कां0 अभिलाश कुमार तिवारी, हे0कां0 अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, हे0कां0 आदित्य कुमार पाण्डेय की एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना गुलरिहा, जनपद गोरखपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 04/2022 में वांछित/फरार रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित अभियुक्त मोनू उर्फ वाहिद रजा मेडिकल कालेज के आगे सरैयां बाजार के पास आयेगा और वहीं से कुशीनगर जाने की फिराक में है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम अभियुक्त मोनू उर्फ वाहिद रजा को सरैंया बाजार से लगभग 100 मीटर पहले गोरखपुर से आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में अभियुक्त मोनू उर्फ वाहिद रजा ने बताया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कई वर्षो से गौ–तस्करी में लिप्त है। वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चिलुआताल, गुलरिहा, शाहपुर, कैण्ट, खोराबार, रामगढ़ताल, तिवारीपुर, पिपराईच, राजघाट जनपद गोरखपुर एवं जनपद कुशीनगर में घुमन्तु पशुओं को उठाकर (विशेषतया गौवंश को) तस्करी का काम करता है। इस दौरान यदि पुलिस टीम आती है तो अपने वाहन से जान से मारने की नियत से उनके वाहन में टक्कर मारकर एवं अपने साथियों के साथ मिलकर यह लोग पत्थरबाजी भी करते है तथा कभी–कभी पुलिस टीम पर गोली भी चलाते हैं। इसके अन्य घटनाओं के सम्बन्ध में पूछताछ की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

मोनू उर्फ वाहिद रजा का आपराधिक इतिहासः

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1.	0877/2020	धारा 380, 411, 457 भा0द0वि0	कसया	कुशीनगर
2.	0020/2021	धारा 380, 411, 457 भा0द0वि0	कसया	कुशीनगर
3.	0041/2021	धारा 380, 411, 457 भा0द0वि0	कसया	कुशीनगर
4.	0042/2021	धारा 380, 411, 458 भा0द0वि0	कसया	कुशीनगर
5.	0017/2021	धारा 379 भा0द0वि0	रामकोला	कुशीनगर
6.	0028/2021	धारा 380, 41, 411, 457 भा0द0वि0	तुर्कपट्टी	कुशीनगर
7.	0030/2021	धारा 60 आबकारी अधिनियम	तुर्कपट्टी	कुशीनगर
8.	0035/2021	धारा 380, 411, 457 भा0द0वि0	पडरौना	कुशीनगर
9.	0004/2022	धारा 307, 504, 506, 427, 353, 120बी, 395, 412 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट	गुलरिहा	गोरखपुर
10.	0061/2022	धारा 3, 5 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 1955, 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधि0 1956 व 307/429 भा0द0वि0	तिवारीपुर	गोरखपुर
11.	0405/2022	धारा 307/34 भा0द0वि0	चौरीचौरा	गोरखपुर
12.	0421/2022	धारा 307/34 भा0द0वि0	चिलुआताल	गोरखपुर
13.	0472/2022	धारा 147, 307, 353 भा0द0वि0	रामगढ़ताल	गोरखपुर
14.	0516/2022	धारा 307, 336, 427, 504, 506 भा0द0वि0	गुलरिहा	गोरखपुर